राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवायें,राज0जयपुर

क्रमांकः ई–12/एम/699सीसी/2019/ 180 दिनांकः– 3.5.19

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2482/2015 श्री कन्हैया लाल रैगर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने दिनांक 01.12.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किया :–

"In Case a representation is so addressed within the presaid period, the State-respondents are to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However in no case latter than eight weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order"

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनाक 01.12.2017 की पालना में श्री कन्हैया लाल रैगर, वार्डबॉय के द्वारा दिनांक 31.1.2018 को निदेशालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति देने हेतु अनुरोध किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में श्री कन्हैया लाल रैगर, वार्डबॉय के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण हेतु प्रकरण की पूर्ण वस्तुस्थिति प्राप्त किये जाने एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तथ्य पाये गये :–

1– श्री कन्हैया लाल रैगर की नियुक्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के आदेश क्रमांकः संस्था/च.श्रे.कर्म./80/11467 दिनांक 29.9.80 के द्वारा हरिजन के पद पर अधिशेष व्यक्ति उपलब्ध होने अथवा अस्थाई तौर पर प्रथम 6 माह के लिये की गई थी।

2– निदेशालय के आदेश क्रमांकः ई–12/एम/81/182 दिनांक 14.8.1982 के द्वारा श्री रैगर का स्थानान्तरण संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर में वार्डबॉय के रिक्त पद पर किया गया एवं कर्मचारी आज दिनांक तक संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है।

3– श्री कन्हैया लाल रैगर के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा परित आदेश की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन में निदेशालय, मुख्यालय में कार्यरत इनसे कनिष्ठ चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर निदेशालय के आदेश दिनाक 28.8.1985, 27.11.98, 5.9.2005 एवं 10.5.2010 के द्वारा दी गई पदौन्नतियों के आधार पर पदौन्नति दिये जाने हेतु अनुरोध किया है।

4– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदो पर कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण राज्य सरकार के आदेशानुसार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की

निदेशालय स्तर पर, जिलों के कार्यालयों/चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण सभागीय स्तर पर एवं संलग्न चिकित्सालय समूह में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियो की वरिष्ठता का निर्धारण सलग्न चिकित्सालय समूह के स्तर पर किया जाता है।

5– चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों का 15 प्रतिशत कोटा पदोन्नति दिये जाने हेतु निर्धारित है। उक्त पदोन्नति हेतु किसी प्रकार का आरक्षण लाभ का प्रावधान नही है।

5– चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो, वरिष्ठता सूची मे वरिष्ठ होने एवं शैक्षणिक योग्यता दिनांक 31.7.2013 से पूर्व सैकेण्डरी कक्षा उत्तीर्ण, इसके पश्चात सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण एवं आरएससीआईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी ही पदोन्नति हेतु योग्य है।

6– श्री कन्हैया लाल रैगर के द्वारा अभ्यावेदन में निदेशालय के आदेश दिनांक 28 8 1985 के आधार पर दी गई पदोन्नति के अनुसार पदोन्नति दिये जाने हेतु अनुरोध किया है। इस क्रम में लेख है कि श्री रैगर की प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.8 1980 के आधार पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नही होने तथा निदेशालय स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण नही होने के कारण पदोन्नति हेतु योग्य नही है।

7– श्री रैगर द्वारा निदेशालय के आदेश दिनांक 27.11.98, 5.9.2005 एवं 10.5.2010 के द्वारा दी गई पदोन्नतियों के आधार पर पदोन्नति दिये जाने हेतु अनुरोध किया है, इस क्रम में लेख है कि श्री रैगर से कनिष्ठ कर्मचारी स्थानान्तरण के फलस्वरूप निदेशालय में कार्यरत रहने एवं श्री रैगर का स्थानान्तरण संक्रामक रोग चिकित्सालय जयपुर में वर्ष 1982 में हो जाने एवं आज दिनांक तक संक्रामक रोग चिकित्सालय जयपुर में ही कार्यरत रहने के फलस्वरूप इनका वरिष्ठता का निर्धारण निदेशालय स्तर पर जारी वरिष्ठता सूची में नही होने के कारण इन्हे कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति नियमानुसार नही दी गई है तथा निदेशालय स्तर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर निदेशालय स्तर पर वरिष्ठता सूची में वरिष्ठतम कर्मचारी होने के कारण कनिष्ठ सहायक के पद पर आदेश दिनांक 27.11.98, 5.9.2005 एवं 10.5.2010 के द्वारा पदोन्नति दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों का एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करनें पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि श्री कन्हैया लाल रैगर की वरिष्ठता का निर्धारण निदेशालय, मुख्यालय में नही होने के परिणामस्वरूप श्री कन्हैया लाल रैगर, वार्डबॉय को निदेशालय स्तर से पदौन्नति देय नही है।

अतः प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–12/एम/699सीसी/2019/ 180 दिनांकः– 3.5.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।

2– प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।

3– उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।

4– अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।

5– सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन– जयपुर ।

6– मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम एंव समन्वयक को भेजकर निर्देश है कि माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कराकर अवमानना प्रकरण को खारिज कराने की कार्यवाही करें ।

7– चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, संक्रामक रोग चिकित्सालय, जयपुर को भेजकर निर्देश है कि उक्त आदेश को श्री रैगर, वार्डबॉय को तामिल कराकर रसीद निदेशालय को भिजवाये । कर्मचारी की सेवापुस्तिका एंव निजी पत्रावली संलग्न कर भिजवाई जा रही है । **(संलग्नः– सेवापुस्तिका एंव निजी पत्रावली)**

8– प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।

9– श्री कन्हैया लाल रैगर, वार्डबॉय को द्वारा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सकामक रोग चिकित्सालय, जयपुर ।

10–आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर